

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

अधिसूचना संख्या-17/सू०को०-109/11-

राँची, दिनांक :-

:- अधिसूचना :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची (मुख्यालय) के कृत्यों से संबंधित सूचना आवेदनों/अपीलों के संदर्भ में सम्यक कार्रवाई हेतु श्री शेखर कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग को एतद् द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किया जाता है।

2. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सीता कांत झा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र.)

ज्ञापांक :- 17/सू०को०-109/11 -

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ सभी सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची के सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/अभियंता प्रमुख- I एवं II, जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव(प्र.)/संयुक्त सचिव(अभि.)/ सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उप समाहर्ता राजस्व प्रमण्डल, राँची/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी/सभी पुनर्वास पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सीता कांत झा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र.)

ज्ञापांक :-17/सू०को०-109/11 -

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि गजट अधिसूचना के प्रकाशनोपरांत इसकी 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

(सीता कांत झा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र.)

ज्ञापांक :-17/सू०को०-109/11 -

3695

राँची, दिनांक :- 6.7.13

प्रतिलिपि :- वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

6/7/13

(सीता कांत झा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र.)